

मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय

कार्यालय: टैगोर छात्रावास क्रमांक टी-2, श्यामला हिल, भोपाल-462002
दूरभाष एवं फ़ैक्स : 0755-2660461, ई-मेल : afrcmp@gmail.com, बेवसाईट- www.afrcmp.org

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2018/ 818
प्रति,

दिनांक - 20/6/18

आयुक्त,
उच्च शिक्षा,
संचालनालय, मध्यप्रदेश,
सतपुड़ा, भवन, भोपाल।

विषय- सत्र 2018-19 हेतु नवीन अनुमोदित पाठ्यक्रम के शिक्षण शुल्क विनियमन के संबंध में।

दिनांक 18.06.2018 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा प्रदेश के निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं जिन्हें सत्र 2018-19 में नवीन अनुमोदन प्राप्त हुआ है, उस पाठ्यक्रम के लिये समिति द्वारा सत्र 2018-19 हेतु विनियमित किये गये औसत शुल्क के बराबर शिक्षण शुल्क को एक सत्र के लिये विनियमित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को अनुमति प्राप्त हुई है। इन संस्थाओं के द्वारा शुल्क विनियमन प्रक्रिया में भाग लेकर शुल्क विनियमन किये जाने का प्रस्ताव समिति, सचिवालय को प्रस्तुत किया गया है। उक्त संस्था के आगामी एक सत्र-2018-19 के लिये विनियमित किये गये शुल्क की जानकारी नीचे तालिका में दी गई है-

तालिका

Fee Regulaated by AFRC Session 2018-19, 2019-20 & 2020-21

S. No.	User Name	Institute Name	City	Course Name	Fee Regulated (Per Year) (Inclusive of Development Fee & All other Miscellaneous fee) (Rs.) Session 2018-19
1	Huser 934181	Maulana Azad College Of Education, Vidisha	Vidisha	B.A. B.Ed.	20,000/-
2	Huser 544183	Ojaswini College Of Education, Damoh	Damoh	M.Ed.	45,000/-

पृ.क्रमांक/सचि./ओएसडी/2018/ 819
प्रतिलिपि-माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
दिनांक- 20/6/18

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी